A 8/1

...लय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

...सीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
37 / प्रा.पत्र / 2020	05.08.2020	04.08.2021

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी। –प्रार्थी

–बनाम–

1. श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री केसरीलाल जैन, विक्रेता एवं मालिक मैसर्स प्रेमचन्द मुकेश कुमार, चौमुखा बाजार, कापरेन, जिला बून्दी। निवासी–चौमुखा बाजार, कापरेन, जिला बून्दी।
2. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री लीलाराम, मालिक मैसर्स किरण ऑयल ट्रेडर्स, अग्रसेन बाजार, कोटा। निवासी–सत्यनारायण जी के मन्दिर के पीछे, वार्ड नं. 54, रेतवाली, तहसील लाडपुरा, कोटा, राज0।
3. श्री आशीष प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री दयानन्द अग्रवाल, नौमिनी मैसर्स विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर, राज0। निवासी–1, शान्तिकुन्ज, वार्ड नं. 33, अलवर, राज0।
4. मैसर्स विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर, राज0।

–अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम एवं विनियम 2011

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से–श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर
श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से–श्री अवनी दीप शर्मा अधिकृत प्रतिनिधि

–: निर्णय :–

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये हैः–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.2011 एवं क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिये

A 8/2

अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना कमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है।

2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.08.2019 को समय 11:30 ए.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु चौमुखा बाजार, कापरेन स्थित, फर्म प्रेमचन्द, मुकेश कुमार पर पहुंचे। वहां पर श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री केसरीलाल जैन, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ वनस्पति, ब्राण्ड–स्कूटर, पौली पैकिंग प्रत्येक 500 एम0एल0 के 10 नग में लगभग थी। उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति, ब्राण्ड–स्कूटर में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, गत्ता पैकिंग सहित ही 4 नग (प्रत्येक 500 एम0एल0) वास्ते नमूना जांच खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 140/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।

4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ वनस्पति, ब्राण्ड–स्कूटर के 4 नगों को पौली पैकिंग सहित ही चार बराबर भागों में (प्रत्येक भाग में एक) विभाजित किया। प्रत्येक भाग को पौली पैकिंग सहित ही चौकोर प्लास्टिक डिब्बें में रखकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं कमांक यू–1354 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ0 गोकुल लाल मीणा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1354 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का

चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2019 / 232–234 दिनांक 06.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 403 / एफएसएसए / कोटा / एक्ट / 2019 / 407 दिनांक 30.08.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया वनस्पति, ब्राण्ड–स्कूटर, सबस्टेण्डर्ड (Substandard) पाया गया।

7. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही के तहत खाद्य पदार्थ वनस्पति, ब्राण्ड–स्कूटर, मैसर्स प्रेमचन्द मुकेश कुमार कापरेन द्वारा मैसर्स किरण ऑयल ट्रेडर्स अग्रसेन बाजार, कोटा से बिल संख्या 1240 दिनांक 03.08.2019 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। मैसर्स किरण ऑयल ट्रेडर्स अग्रसेन बाजार, कोटा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के मालिक श्री राजेश कुमार पुत्र श्री लीलाराम, निवासी–सत्यनारायण जी के मन्दिर के पीछे, वार्ड न0 54, रेतवाली, तहसील लाडपुरा, कोटा हैं। अतः इस प्रकरण में श्री राजेश कुमार मालिक किरण ऑयल ट्रेडर्स कोटा को भी पक्षकार बनाया गया हैं तथा मैसर्स किरण ऑयल ट्रेडर्स कोटा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति, ब्राण्ड–स्कूटर, मैसर्स विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर, राज0 से बिल संख्या वी0एस0एल19–20जीटी / 06533 दिनांक 29.07.2019 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की हैं। मैसर्स विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर, राज0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के नौमिनी श्री आशीष प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री दयानन्द अग्रवाल, निवासी–1, शान्तिकुन्ज, वार्ड नं. 33, अलवर, राज0 हैं। अतः इस प्रकरण में फर्म मैसर्स विजय सोल्वेक्स लिमिटेड, ऑल्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इटारना रोड, अलवर, राज0 एवं इसके नौमिनी को अन्तिम पक्षकार बनाया गया हैं तथा उक्त फर्म ही खाद्य पदार्थ वनस्पति, ब्राण्ड–स्कूटर, की विनिर्माता फर्म हैं।

8. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2020 / 136 दिनांक 31.07.2020 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ वनस्पति, ब्राण्ड–स्कूटर का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जो जांच रिपोर्ट संख्या 403 एफ.एस.एस.ए. / कोटा / एक्ट / 2019 / 407 दिनांक 30.08.2019 के अनुसार नमूना जांच वनस्पति, ब्राण्ड–स्कूटर सबस्टेण्डर्ड पाया गया हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार The sample of "Vanaspati (Scooter Brand)" bearing code No. and Sr. No. U-1354 of Designated officer cum The Chief Medical & Health Officer Bundi is substandard Baudouin test as does not meet to the prescribed

A8/4

ard and provisions of Food Safety and standard. Under Section 3(1)(zx) of Food. Safety and standards Act 2006 उक्त कथन पूर्णतया स्वीकार नहीं हैं परन्तु वास्तविक स्थिति इस प्रकार हैं कि उक्त वनस्पति स्कूटर ब्राण्ड गर्मी के कारण लिक्विड फार्म (Liquid Form) में था तथा नमूना लेते वक्त उपरोक्त पौली पैक को normal temperature में नहीं लिया गया एवं बॉक्स में भी ऐसी ही स्थिति में सील्ड कर दिया गया। उक्त वनस्पति की लिक्विड फार्म (Liquid Form) की स्थिति में पैकिंग होने पर उस नमूने की स्थिति change हो गई तथा Semi Solid Form के आ जाने के कारण उक्त नमूने की जांच की गई जिसमें temperature के अधिक हो जाने के कारण उक्त वनस्पति स्कूटर ब्राण्ड में Baudouin Test में अधिक temperature होने पर Negative Report आई हैं जबकि उक्त उक्त वनस्पति को लिक्विड फार्म (Liquid Form) में नमूने की जांच कराई जाती तो उक्त नमूने की रिपोर्ट सही स्थिति में Baudouin Test, FSSA के prescribed standard के अनुसार सही आता। यहां यह लिखना आवश्यक होगा कि विनिर्माता फर्म में माल तैयार होने पर अपनी फर्म की प्रयोगशाला (लेबोट्री) में पूर्ण जांच कर ही मार्केट में सप्लाई हेतु भेजती हैं। अतः उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया जाना पूर्णतया गलत हैं जो पोषनीय नहीं हैं। उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये अप्रार्थीगणों के विरूद्ध नरम रूख अपनाते हुये लोक अदालत की भावना से निर्णय करने की कृपा करें।

पत्रावली आज अप्रार्थीगणों द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र किये जाने से आज न्यायालय में पेश हुई।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा के स्थान पर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण अपने सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ वनस्पति, ब्राण्ड–स्कूटर का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया गया हैं, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगणों द्वारा बवक्त दोराने बहस जवाब अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार नमूने में कोई बाहरी पदार्थ की मिलावट नहीं हैं इसीलिए उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड की श्रेणी में नहीं आता हैं। यह कि उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये अप्रार्थीगणों के विरूद्ध सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निर्णय करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थीगण ने अपने प्रतिष्ठान पर सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ वनस्पति, ब्राण्ड–स्कूटर का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 संयुक्त रूप से दोषी है। अप्रार्थीगण का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 2 को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 3 को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये) एवं अप्रार्थी संख्या 4 को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये) कुल राशि 20,000/– (अक्षरे–बीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A8/5

जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये ...न जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)